

अमेरिका की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट

प्रलिमिस के लिये:

बौद्धिक संपदा अधिकार नीति प्रबंधन संरचना, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति 2016, भौगोलिक उपदर्शन प्रमाणन (GI) टैग, कॉपीराइट, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा

मेन्स के लिये:

बौद्धिक संपदा अधिकार, आवश्यकता और चुनौतियाँ

स्रोत: बज़िनेस स्टैण्डर्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका की USTR स्पेशल 301 रपोर्ट में बौद्धिक संपदा (IP) के संबंध में सुरक्षा और प्रवर्तन संबंधी चित्तियों के कारण चीन, रूस, वेनेजुएला एवं तीन अन्य देशों के साथ भारत को भी पुनः 'प्रायोरिटी वॉच लिस्ट' (PWL) में शामिल किया गया है।

- वर्ष 2020 एवं 2021 सहित विभिन्न कुछ वर्षों में, अमेरिका द्वारा भारत को USTR स्पेशल 301 रपोर्ट में सूचीबद्ध किया गया है।

USTR स्पेशल 301 रपोर्ट क्या है?

परिचय:

- 1974 के अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 182 द्वारा अधिविति, यह अमेरिकी व्यापार भागीदारों की बौद्धिक संपदा (IP) सुरक्षा और प्रवर्तन कार्यप्रणालियों की उपयुक्तता एवं प्रभावशीलता का आकलन करने की लिये की जाने वाली वार्षिक समीक्षा है।

सूचीबद्ध करने हेतु मानदंड:

- USTR निगरानी सूची में देशों को नामित करते समय IP चित्तियों की गंभीरता, अमेरिकी अधिकार धारकों पर आर्थिक प्रभाव एवं पहचाने गए मुद्दों को संबोधित करने में प्रगति की कमी जैसे कारकों पर विचार करता है।

- 'प्रायोरिटी वॉच लिस्ट' (PWL): में शामिल देशों को अप्रयाप्त IP संरक्षण और प्रवर्तन के सर्वाधिक गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि आवश्यक सुधार प्रदर्शित करने में वफ़ा रहते हैं तो USTR औपचारिक व्यापार जाँच शुरू कर सकता है या प्रतिबंध लगा सकता है।
- वॉच लिस्ट (निगरानी सूची): इसमें सूचीबद्ध देशों में कुछ स्तर तक अनुचित IP कार्यप्रणालियाँ होती हैं, किन्तु इनकी गंभीरता उतनी नहीं होती है जितनी PWL में सूचीबद्ध देशों से संबंधित IP कार्यप्रणालियों की होती है। USTR देशों की निगरानी करने और उन्हें अपने IP शासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने के लिये निगरानी सूची का उपयोग करता है।

अमेरिकी सरकार की पहलें:

- समर्थन के प्रयास (Advocacy Effort): USTR व्यापारकि साझेदारों के साथ IP सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिये द्विपक्षीय वारता, विश्व व्यापार संगठन (WTO) की भागीदारी और हतिधारक जुडाव को नियोजित करता है।
- तकनीकी सहायता: अमेरिका विधिक और प्रशासनिक क्रमियों के प्रशासनिक विधियों से विकासशील देशों में IP कार्यप्रणालियों को सुदृढ़ करता है।
- जालसाजी और चोरी विरोधी प्रयास (Anti-Counterfeiting and Piracy Efforts): USTR साझेदार देशों और संगठनों के साथ संयुक्त कार्रवाई, सूचना आदान-प्रदान और क्षमता नियमण के माध्यम से जालसाजी और चोरी का विरोध करता है।

रपिरेट में भारत से जुड़ी क्या चतिएँ जताई गई हैं?

- **भारत का स्थान:** संघेशल 301 रपिरेट में भारत को नरितर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है, जो अमेरिकी IP हतिधारकों के लिये IP सुरक्षा, प्रवरतन और बाज़ार पहुँच के संबंध में महत्वपूरण चतिआओं को दर्शाता है।
 - रपिरेट के अनुसार, IP सुरक्षा और प्रवरतन के मामले में भारत सबसे चुनावीपूरण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है।
- **अपराधपत् IP प्रवरतन:** USTR रपिरेट भारत के IP प्रवरतन में वभिन्न कमियों की पहचान करती है, जिसमें ऑनलाइन पायरेसी की उच्च दर, ट्रेडमार्क वरीध के मामलों में बैकलॉग और ट्रेड सीक्रेट की सुरक्षा हेतु अपराधपत् वधिकि तंत्र शामल हैं।
 - इनमें IP उत्पादों पर उच्च सीमा शुल्क और इस बात की चतिएँ शामल हैं किंवा भारत के पास संभावति फारमास्युटिकल पेटेंट विवादों के शीघ्र समाधान हेतु एक प्रभावी तंत्र है।
- **कॉपीराइट अनुपालन संबंधी मुद्दे:** भारत को [विश्व बौद्धिकि संपदा संगठन \(WIPO\)](#) इंटरनेट संधियों को पूरी तरह से लागू करना चाहयि और कॉपीराइट धारक अधिकारों की रक्षा के लिये इंटरेक्टिव ट्रांसमशिन हेतु कॉपीराइट लाइसेंस का वसितार करने से बचना चाहयि।
 - इंटरेक्टिव ट्रांसमशिन ऐसे प्रसारण होते हैं, जहाँ उपयोगकर्ता सक्रयि रूप से भाग लेता है, जैसे संगीत सट्रीमिंग या वीडियो डाउनलोड करना, आदि।
- **यूएस-इंडिया ट्रेड पॉलसी फोरम:** [ट्रेडमार्क उल्लंघन](#) अन्वेषण और पूर्व-अनुदान वरीध कार्यवाही जैसे मुद्दों के संबंध में यूएस-इंडिया ट्रेड पॉलसी फोरम के अंतर्गत कुछ सतर पर प्रगति देखी गई है, किंतु अभी भी कई दीर्घकालिकि चतिआओं का समाधान नहीं किया गया है।
- **बौद्धिकि संपदा अधिकारों पर भारत का रुखः** भारत का रुख यह है, कि उसके कानून विश्व व्यापार संगठन के [बौद्धिकि संपदा अधिकार के व्यापार-संबंधित पहलु \(TRIPS\)](#) समझौते का कड़ाई से पालन करते हैं, यह अन्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार बदलाव करने के लिये बाध्य नहीं है।



बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

IP/बौद्धिक संपदा का तात्पर्य किसी व्यक्ति/कंपनी द्वारा सहमति के बिना बाह्य उपयोग या कार्यान्वयन से स्वामित्व/कानूनी रूप से संरक्षित अमूर्त संपत्तियों से है।



IPR के लिये आवश्यक हैं

- नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना।
- आर्थिक विकास।
- रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करना।
- व्यापार करने में सुलभता बढ़ाना।



संबंधित कन्वेशन/संधि

(भारत ने इन सभी पर हस्ताक्षर किये हैं)

- WIPO द्वारा प्रशासित (प्रथमतः मान्यता प्राप्त IPR के अंतर्गत):
 - औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेशन, 1883 (पेरेंट, औद्योगिक डिज़ाइन)।
 - साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु बर्न अमिसमय, 1886 (कॉपीराइट)।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO)-ट्रिप्स समझौता:
 - सुरक्षा के पर्याप्त मानक सुनिश्चित करना।
 - विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये प्रोत्साहित करना।
- बुद्धपेस्ट अमिसमय, 1977:
 - पेरेंट प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु सूक्ष्मजीवों के जमाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता।
- मरकिश VIP समझौता, 2016:
 - दृष्टिबाधित व्यक्तियों और आँखों से दिव्यांगों (print disabilities) वाले व्यक्तियों को प्रकाशित कार्यों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
- IPR को अनुच्छेद 27 (मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा) में रखांकित किया गया है।



भारत की पहल और IPR

- राष्ट्रीय IPR नीति, 2016:
- आदर्श वाक्य: "क्रिएटिव इंडिया; इनोवेटिव इंडिया"।
- ट्रिप्स समझौते के अनुरूप।
- सभी IPR को एक मंच पर लाता है।
- नोडल विभाग - औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय)।
- राष्ट्रीय (IP) जागरूकता मिशन (NIPAM)
- बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिये कलाम कार्यक्रम (KAPILA)

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस: 26 अप्रैल

बौद्धिक संपदा	संरक्षण	भारत में कानून	अवधि
कॉपीराइट	विचारों की अभिव्यक्ति	कॉपीराइट अधिनियम 1957	परिवर्तनीय
पेरेंट	आविष्कार- नवीन प्रक्रियाएँ, मशीनें आदि।	भारतीय पेरेंट अधिनियम, 1970	सामान्यतः 20 वर्ष
ट्रेडमार्क	व्यावसायिक वस्तुओं या सेवाओं को पृथक करने के लिये चिह्न	व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999	अनिश्चित काल तक रह सकता है
ट्रेड सीक्रेट	व्यावसायिक जानकारी की गोपनीयता	पंजीकरण के बिना संरक्षित	असीमित समय
भौगोलिक संकेत (GI)	विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति पर प्रयुक्त संकेतक और उत्पत्ति स्थल के बजह से विशिष्ट गुण रखते हों	वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999	10 वर्ष (नवीकरणीय)
औद्योगिक डिज़ाइन	किसी लेख का सजावटी या सौंदर्यपरक पहलू	डिज़ाइन अधिनियम, 2000	10 वर्ष

- संयुक्त बौद्धिक संपदा आयोग: सरकार को उद्योग और शक्तिशाली जगत के प्रतिनिधियों के साथ एक स्थायी भारत-अमेरिका बौद्धिक संपदा आयोग की स्थापना करने की आवश्यकता है।
 - यह दृष्टिकोण अमेरिका-चीन IP वरकरि ग्रुप की सफलता को प्रतिबिम्बित करता है, जिसे संवाद को बढ़ावा देने और विशिष्ट चत्तियों को संबोधित करने का श्रेय दिया जाता है। यह आयोग नमिन कदम उठा सकता है, जिसमें शामिल हैं-
 - आपसी चत्ति (Mutual Concern) के क्षेत्रों की पहचान करना और संयुक्त कार्य योजनाओं को प्राथमिकता देना।
 - IP सुरक्षा और प्रवर्तन में सर्वोत्तम प्रथाओं पर ज्ञान के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना।

- विधिक वसिंगतयों को पाटने के लिये सामंजस्यपूर्ण IP नीतियाँ विकसित करना।
- क्षमता नरिमाण पर ध्यान:** अमेरिका भारत के पेटेंट कार्यालय और न्यायपालिका को तकनीकी सहायता की पेशकश कर सकता है, जिसमें शामल हैं-
 - पेटेंट आवेदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थिति करना और बैकलॉग कम करना।
 - IP प्रवर्तन तंत्र पर न्यायाधीशों और कानून प्रवर्तन हेतु प्रशिक्षण बढ़ाना।
 - यह रणनीति [यूएस-मेक्सिको-कनाडा समझौते \(USMCA\)](#) की सफलता को प्रतिबिम्बित करती है, जिसमें IP प्रवर्तन पर तकनीकी सहायता के प्रावधान शामिल हैं।
- पारदर्शता और हतिधारक जुड़ाव:** दोनों देशों को IP नियम लेने की प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शता को बढ़ावा देना चाहयि।
 - दोनों देशों के उद्योग हतिधारकों के साथ नियमित प्रामर्श से व्यावहारिक चुनौतयों और समाधानों की पहचान की जा सकती है।
 - यह दृष्टिकोण यूरोपीय संघ की पारदर्शी IP प्रवर्तन व्यवस्था पर आधारित है, जो हतिधारकों की भागीदारी पर ज़ोर देती है।
- मध्यस्थता के माध्यम से विवाद समाधान:** कंपनियों के बीच IP विवादों को संबोधित करने के लिये एक सुव्यवस्थिति मध्यस्थता तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें शामिल हो सकते हैं-
 - भारतीय और अमेरिकी बौद्धिकि संपदा कानून दोनों में पारंगत नियमिति विशेषज्ञों के पैनल।
 - पारंपरिक विवादों की तुलना में तीव्र और अधिक लागत प्रभावी समाधान।
 - यह दृष्टिकोण [सागिपुर-भारत व्यापक आरथिक सहयोग समझौते \(CEPA\)](#) के भीतर सफल IP मध्यस्थता प्रावधानों के समान है।

निष्कर्ष:

सहयोग, क्षमता नरिमाण और कुशल विवाद समाधान तंत्र स्थापित करके, भारत और अमेरिका "प्रायोरिटी वॉच लिस्ट" के दायरे से आगे बढ़ सकते हैं। सफल वैश्विक प्रथाओं से प्रेरित यह अभिनिव दृष्टिकोण दोनों देशों के लिये नवाचार और आरथिक विकास को बढ़ावा देते हुए अधिक सामंजस्यपूर्ण और उत्पादक संबंधों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

दृष्टिकोण प्रश्न:

प्रश्न. विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करते हुए दृष्टिकोण संबंधों पर बौद्धिकि संपदा अधिकार (IPR) व्यवस्था पर भारत-अमेरिका विवाद के प्रभावों पर चर्चा कीजिये। अपने मतभेदों को दूर करने में दोनों देशों के लिये चुनौतयों और अवसरों का मूल्यांकन कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा विवित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न 1. 'राष्ट्रीय बौद्धिकि संपदा अधिकार नीति' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

- यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रतिभारत की प्रतिबिद्धता को दोहराता है।
- औद्योगिक नीति और संवरद्धन विभाग भारत में बौद्धिकि संपदा अधिकारों को विनियमिति करने के लिये नोडल एजेंसी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

- भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार, कसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है।
- भारत में कोई बौद्धिकि संपदा अपील बोर्ड नहीं है।
- पादप कसीमें भारत में पेटेंट कराए जाने की पात्र नहीं हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1 और 3

- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

??????

प्रश्न. वैश्वीकृत दुनिया में बौद्धिक संपदा अधिकार महत्त्व रखते हैं और मुकदमेबाज़ी का एक स्रोत है। कॉपीराइट, पेटेंट तथा ट्रेड सीक्रेट्स के बीच व्यापक रूप से अंतर कीजिये। (2014)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/us-priority-watch-list>

